न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. जेठाराम पुत्र हीरा जी चौधरी, जाति- जणवा, निवासी- मुन्डारा, तहसील-बाली, जिला- पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- होटल प्रियंका, एन.एच.27, एच.पी. पैट्रोल पम्प के सामने, भीमाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

2. मेहर अली नूरमोहम्मद कोजर पुत्र श्री नूर मोहम्मद, निवासी- 172 मोमिन वास, जाफरीपुरा, तहसील- सिद्धपुर, जिला- पाटन (गुजरात) (खाद्यकारोबारकर्ता व सप्लायर)

फर्म:- Amenity Traders, Acumen Commercial Centre, Highway Road, Siddhpur, Patan, Gujrat-384151

3. शाह प्रवीण भाई पुत्र शाह सुरेश चन्द्र, निवासी- नन्द वाटिका, मगनवाडी, पायल सिनेमा, वासड, आणन्द (गुजरात)- 388306 (खाद्यकारोबारकर्ता एवं नॉमिनी)

फर्म:- Satyendra Agro Products, N.H.No.8, Svit College Road, At Vasad, Dist. Anand (Guj.)-388306

प्रकरण संख्या: 05/2020

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 व 54 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

अधिवक्ता श्री नगेन्द कुमार मेडतिया, प्रतिवादी संख्या- 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 26 जुलाई, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 13.1.2020 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.7.2019 को फर्म होटल प्रियंका, एन.एच.27, एच.पी. पैट्रोल पम्प के सामने, भीमाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति जेठाराम पुत्र हीरा जी चौधरी, जाति- जणवा, निवासी- मुन्डारा, तहसील- बाली, जिला- पाली है एवं फर्म होटल प्रियंका पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मा[illegible] हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को Split Pulse (तुअर दाल)(Dev[illegible]) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नि[illegible]ने के साथ पकाकर

....पेज

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

बेची जाने वाली खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के स्टोर में टिन के ड्रम में रखे Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के 50 किलोग्राम के पैक्ड बैग को खुलवाकर उसमें मौजूद Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप की गई Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) में से चार किलोग्राम Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 292/- अदा कर रसीद तैयार की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या-5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं. 5ए, सप्लाई बिल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को 4 साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के कन्टेनर दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को चारों प्लास्टिक कंटेनरों में बराबर-बराबर भरा एवं ढ्क्कन से एयर टाईट बंद किया। चारों नमूना कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-969 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया तथा मजबूत धागे से बांधकर सील चपडी किया तथा फार्म नं. 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.7.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं.6 का एक सील बन्द लिफाफा मैनें स्वयं ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 04.7.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूने [illegible] फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को मैनें स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त [illegible] के साथ संलग्न है।

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

वरि. जिला [illegible]
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) का नमूना S-969 मिसब्राण्ड (Misbranded) एवं Food containing extraneous matter due to addition of edible oil पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भिजवाई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म नं. 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन पुनः जांच हेतु आवेदन प्राप्त नही हुआ। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिसब्राण्ड (Misbranded) एवं food containing extraneous matter due to addition of edible oil की Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) का निर्माण एवं विक्रय करने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 व 54 के तहत जुर्माने योग्य उपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिसब्राण्ड (Misbranded) एवं food containing extraneous matter due to addition of edible oil खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 व 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत दिनांक 18.2.2020 को प्रतिवादी संख्या-2 (मेहरअली नूरमोहम्मद कोजर) को एवं प्रतिवादी संख्या-1 (जेठाराम) ने दिनांक 19.2.2020 को अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-3 (शाह प्रवीण भाई) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या-1 व 2 उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 3 के अधिवक्ता ने [illegible] अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया [illegible] द्वारा पद में वर्णित अरहर दाल का सेम्पल कहां से लिया गया तथा [illegible] गया, कोई उल्लेख नहीं किया

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

है। अरहर दाल का सेम्पल लेने का कथन गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म से Toor Dal With Edilble oil का सेम्पल लिया गया था। न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित अनुसार अरहर दाल खरीद करने, सेम्पल को सीलबंद करने व फर्दो पर पढ़कर हस्ताक्षर करने का कथन अस्वीकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द गलत व विधि विरुद्ध बनाई गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सेम्पल को गलत तरीके से टेम्परविथ करके जांच हेतु भेजा है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सेम्पल को सुरक्षित रखने हेतु कोई पदार्थ नही डाला है जिससे सेम्पल खराब होने की पूरी संभावना है। नमूना मिसब्राण्ड होने का कथन गलत है। प्रतिवादी संख्या-3 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या-3 उक्त सेम्पल के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो उक्त अधिनियम की धारा 46(4) का उल्लंघन है। प्रतिवादी संख्या- 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा सेम्पल Toor Dal With Edilble oil का प्राप्त किया गया है। Toor Dal दो प्रकार की होती है, जिसमें एक तेल लगी हुई तथा दुसरी बिना तेल लगी हुई। तुअर दाल ऑयली का सेम्पल लेना फर्दो में स्पष्ठ अंकित किया है जिससे प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। तुअर दाल में Edible oil को Preservative के तौर पर सही डाला गया है जो विधि अनुसार है तथा उसी दाल का सेम्पल लिया गया है जिससे Edible oil होने से उक्त सेम्पल मानक के अनुसार नही होना कानून नही माना जा सकता है जिससे न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सेम्पल लेने की प्रक्रिया विधि अनुसार नही की है एवं सेम्पल के साथ लेबल भेजे जाने का उल्लेख फर्दो में नही किया गया है, लेबल के संबंध में मिसब्राण्ड होना गलत बताया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.7.2019 को 3.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल प्रियंका, एन.एच.27 पैट्रोल पम्प के सामने, भीमाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जेठाराम पुत्र हीरा जी चौधरी, जाति- जणवा, निवासी- मुन्डारा, तहसील- बाली, जिला- पाली उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल प्रियंका के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु खाने के साथ पकाकर बनाकर दी जाने वाली खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के अमानक स्तर का होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम [illegible] क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री [illegible] ग्राम शेषली, तहसील-

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

प्र. जिला [illegible]
सिरोही-307001

बाली, जिला- पाली के समक्ष विक्रेता जेठाराम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म होटल प्रियंका के स्टोर में एक टीन के ड्रम में मौजूद खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के 50 किलोग्राम के पैक्ड पैक बैग को खुलवाकर उसमें मौजूद Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप की हुई Spli Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) में से 4 किलोग्राम Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत रशि रुपये 292/- (अक्षरे रुपये दो सौ बरानवे मात्र) विक्रेता को अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को 4 साफ, सूखें, खाली प्लास्टिक के कन्टेनर दिखाये एवं मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-969, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त विक्रेता जेठाराम व उक्त गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को चारों प्लास्टिक कन्टेनरों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा व चारों कंटेनरों को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-969 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर विक्रेता जेठाराम व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता जेठाराम व गवाहान तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म होटल प्रियंका में प्रतिवादी जेठाराम से खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों पैक पैकेटो के साथ फार्म [illegible] एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को [illegible] किया व धागे से

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001

बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग से बंद कर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 04.7.2019 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर-6 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 04.7.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के नमूना संख्या S-969 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./523/Act/2019/577 दिनांक 17.7.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल प्रियंका, एन.एच.27, एच.पी. पैट्रोल पम्प के सामने, भीमाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में प्रतिवादी जेठाराम से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) एवं Food containing extraneous matter due to addition of edible oil पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 17.7.2019 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) की निर्माता/पैकर फर्म Satyendra Agro Products है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के 50 किलोग्राम के सील्ड पैक वैग को खोलकर उसमें से 4 किलोग्राम Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) को वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/9378-81 दिनांक 29.7.2019 से प्रतिवादी जेठाराम व निर्माता/पैकर फर्म styendra Agro Products को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी जेठाराम की फर्म होटल प्रियंका द्वारा खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के पैक्ड बैग को प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म Amenity Traders से एवं प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म Amenity Traders द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म Satyendra Agro Products से क्रय किया गया है, जो खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) की निर्माता एवं पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता दोषी है एवं Food containing extraneous matter due to addition of edible oil के विक्रय हेतु निर्माता/पैकर फर्म दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने

....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:32:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

सिरोही (राज०)

मिथ्याछाप (Misbranded) Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) का विक्रय करके एवं निर्माता/पैकर फर्म Satyendra Agro Products द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) एवं Food containing extraneous matter due to addition of edible oil खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन किया है, जो इस अधिनियम की धारा 52 व 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जेठाराम पुत्र हीरा जी चौधरी, जाति- जणवा, निवासी- मुन्डारा, तहसील- बाली, जिला-पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म होटल प्रियंका, एन.एच.27, एव.पी. पैट्रोल पम्प के सामने, भीमाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी मेहरअली नमूरमोहम्मद कोजर पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी-172 मोमिन वास, जाफरीपुरा, तहसील- सिद्धपुर, जिला- पाटन (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म Amenity Traders, Acumen Commercial Centre, Highway Road, Siddhpur, Pattan (Guj.) पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 व 54 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) एवं Food containing extraneous matter due to addition of edible oil खाद्य पदार्थ Split Pulse (तूअर दाल)(Devi Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता/पैकर फर्म Satyendra Agro Products, N.H.No. 8, Svit College Road, At. Vasad, Dist. Anand (Gujrat)-388306 पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर व निर्माता/पैकर फर्म पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

सिरोही (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested